हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

संख्याः एच0टी0सी0–ई(4)–1/1995–वाल्यूम–1 लूज तारीखः शिमला, 02–01–2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन, अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 29) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई –गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से, हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 29) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से, इन नियमों से सलंग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुज्ञप्तिधारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई हो;

(घ) 'मातृ वृक्ष' से, साँकुर शाखा बैंक का प्रजनन संतति वृक्ष अभिप्रेत है, जिससे खुले में पौधशाला लगाने के लिए मूलवृन्त की साँकुर कलम या ऊत्तक संवर्धन तकनीक से पौध सामग्री के उत्पादन के लिए साँकुर शाखा या कलिका युक्त टहनी ली जाती है; और

(ड.) 'प्रतिभूति' से, कारबार के समुचित संचालन के लिए पौधशाला पालक (नर्सरीमेन) द्वारा दी गई नकद प्रतिभूति अभिप्रेत है।

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं; किन्तु परिभाषित नहीं है; के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रताः– (1)पौधशाला पालक (नर्सरीमेन)/उद्यमी, जो साँकुर शाखा बैंक, फल पौधशाला, ऊत्तक संवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की वांछा रखता है/हैं; औद्यानिकी/कृषि/जैव प्रौद्योगिकी में स्नात्तक होना चाहिए या जिसने

बागवानी/पौधशाला उत्पादन में एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो या बागवानी कृषि व्यवसायी होना चाहिए।

(2) आवेदक अनुसंधान संगठन या विदेश– आधारित पौधशाला पालक (नर्सरीमेन) होगा, किन्तु पौधशाला पौधों के उत्पादन के लिए प्रसुविधा स्थापित करने से पूर्व उसे सम्बन्धित पक्षकारों की भूमिका और उत्तरदायित्व का वर्णन करते हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना होगा।

4. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.– (1) पौधों के कठोरीकरण करने के लिए प्रसुविधा सहित साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला या ऊत्तक संवर्धन इकाई संचालित या स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन किसी सरकारी ट्रेजरी/भारतीय स्टेट बैंक में शीर्ष "0401"–119 (बागवानी), 02 प्राप्तियाँ वानस्पतिक उद्यान से (पौधशाला रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस) के अन्तर्गत निदेशक, बागवानी हिमाचल प्रदेश के पक्ष में जमा की जाने वाली साँकुर शाखा बैंक के लिए 1000/– रुपए, फल पौधशाला और ऊत्तक संवर्धन इकाई के लिए 5000/–रुपए के मूल रुप में ट्रेजरी चालान के साथ प्ररुप–1 में सक्षम प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा।

(2) यदि अनुज्ञप्ति अस्वीकृत की जाती है तो उपधारा (1) के अधीन निक्षेपित फीस का पूर्णतया प्रतिदाय किया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति पर, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी जो उद्यान विकास अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला, जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित की गई है, का निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित करवाएगा। निरीक्षण अधिकारी अपने अन्य संप्रेक्षण प्ररुप –'2' में अभिलिखित (रिकार्ड) करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी (अधिकारियों) की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित शर्तें परिपूर्ण करता है तो उसे प्ररुप–3 में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा और यदि परिस्थिति के अनुसार ऐसा आवश्यक हो, तो अपने आदेश में ऐसी अस्वीकृति के कारण देगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति प्रदान करने या अस्वीकृत करने के प्रत्येक आदेश अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और संबद्ध आवेदक को 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा संसूचित किया जाएगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी प्ररुप–4 में रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें व्यक्ति/उद्यमी के नाम, जिन्हें समय–समय पर अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, दर्ज किए जाएंगे।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है, तो वह, यथास्थिति, स्वयं या किसी अन्य निरीक्षण दल से साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला/या ऊत्तक संवर्धन इकाई का निरीक्षण का संचालन कर सकेगा या पुनः निरीक्षण करवाने के लिए आदेश कर सकेगा।

5. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि, अनुज्ञप्ति का नवीकरण और उसमें परिवर्तन.–(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति नवीकृत करवाने की वाँछा रखता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से पूर्व 90 (नब्बे) दिन के भीतर प्ररुप– '5' में आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन के साथ नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नवीकरण फीस जमा करने के सबूत के रुप में ट्रेजरी चालान संलग्न किया जाएगा! सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला/ऊत्तक संवर्धन इकाई का, ऐसी रीति में निरीक्षण करवाएगा, मानो उसके द्वारा आवेदन नियम 4 के उप नियम(1) के अधीन प्राप्त किया गया है। निरीक्षण प्राधिकारी प्ररुप–'6' में अपनी रिपोर्ट देगा। अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्रदत्त मूल अनुज्ञप्ति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। ऐसा न होने पर सक्षम प्रधिकारी, समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् सुसंगत दस्तावेज और नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रुप से अधिप्रमाणित आवश्यक शपथ–पत्र को प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या अधिनियम अथवा इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया है तो वह अधिक से अधिक पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा। यदि प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो यह नवीकरण करने से इनकार कर सकेगा और अपने आदेश में ऐसे इनकार के लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने या नवीकरण से इनकार किए जाने का प्रत्येक आदेश, नवीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा 10 दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(4) पाँच वर्ष के लिए साँकुर शाखा बैंक के लिए नवीकरण फीस 1000/– रुपए होगी तथा फल पौधशाला और ऊत्तक संवर्धन इकाई हेतु 2000/– रुपए होगी और नियम 4 के उप नियम (1) में उल्लिखित शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी। यदि अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इनकार किया जाता है, तो नवीकरण फीस वापस कर दी जाएगी।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु इसके अवसान से पूर्व 90 दिन की अवधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी, सम्बद्ध पौधशाला/पालक प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करके इस प्रकार प्रदान की गई ऐसी अनुज्ञप्ति के रदद्करण के लिए पग उठाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, किसी भी समय, अनुज्ञप्तिधारी, यदि अनुज्ञप्ति में वर्णित उन फल पौधों से अन्यथा फल पौधों के प्रजनन की वाँछा रखता है, या मृत्यु हो जाने या अन्य किसी कारण से पौधशाला स्वामी का नाम परिवर्तित करना चाहता है तो वह अतिरिक्त रुप से प्रजनित किए जाने वाले फल पौधों या अपेक्षित दस्तावेजों जो दोनों मामलों में आवश्यक समझे जाएं, को विनिर्दिष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों के समुचित सत्यापन के पश्चात यह विचार करेगा कि आवेदक, फल पौधों का, आवेदन में पूर्व में विनिर्दिष्ट प्रजनन के अतिरिक्त प्रजनन करने अथवा उसके पश्चात पौधशाला के स्वामी के नाम में परिवर्तन करने, अनुज्ञप्ति में आवश्यक परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिए पात्र है।

6. अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रदद्करण के लिए अतिरिक्त आधार.– सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में वर्णित आधारों के अतिरिक्त प्रदान की गई या नवीकृत की गई किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक आधारों पर अधिकतम एक वर्ष के लिए निलम्बित या रदद् कर सकेगाः–

(क) अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार का संचालन ईमानदारी से या उचित रीति में नहीं कर रहा है;

(ख) वह, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला/पौध सामग्री की स्थिति में सुधार करने या ऊत्तक संवर्धन केन्द्र पर सुविधाओं की बाबत समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है; या

(ग) वह ऐसी प्रजातियों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, से भिन्न प्रजातियों के प्रोजन्य वृक्षों की कलिकायुक्त टहनी की उपलब्धता के असंगत पौधों का उत्पादन कर रहा है।

7. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.– मूल अनुज्ञप्ति के गुम, नष्ट, विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में, पौधशाला पालक उसी नम्बर जो मूल अनुज्ञप्ति में वर्णित था, को उद्घृत करते हुए द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। आवेदन की प्राप्ति पर और 500/– रुपए की फीस के संदाय पर सक्षम प्राधिकारी द्विप्रतीक अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

8. अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीकृत करने से इनकार करने अथवा रद्दकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील.– सक्षम प्राधिकारी के किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीकृत करने से इनकार करने या रद्द करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अपील हेतु सुस्पष्ट आधार विनिर्दिष्ट करते हुए निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश को अपील कर सकेगा।

9. पौध सामग्री का प्रजनन के लिए उपयोग किया जाना.– (1) प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पौध सामग्री सर्वथा वही होगी जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

(2) पौधशाला में प्रजनित की जाने वाली कलिकायुक्त टहनी की प्रजाति और कलम वही होगी जो समय–समय पर उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश या अधिनियम की धारा 2 (घ) के अनुसार पदाभिहीत अभिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए। निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश या सक्षम प्राधिकारी, व्यवसायों के पैकेज में दिए गए या निदेशक, उद्यान द्वारा परिवर्तनों, यदि कोई सस्तुतियों में हों, के दृष्टिगत अधिसूचित किए जाने वाले कलिकायुक्त टहनी, कलम और पौधशाला पौधों के न्यूनतम मापदण्डों को विहित कर सकेगा।

(3) फल पौधशाला/ऊत्तक संवर्धन इकाई में वानस्पतिक प्रजनित पौध सामग्री पौधशाला पालक/रजिस्ट्रीकृत साँकुर शाखा बैंक के स्वामी के पास कलम (वर्धी (वानस्पतिक) प्रजनित यदि कोई हो) और कलिकायुक्त टहनी की उपलब्धता के प्रत्यक्ष अनुपात में होगी।

(4) पौधशाला पालक प्रत्येक क्यारी में खेतों या क्यारियों के व्यौरे और पौधों की प्रजातियों के प्रकार दर्शाते हुए साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला का नक्शा बनाएगा। यह अंकुरित पौध के साथ–साथ साँकुरित और कलम की पौध सामग्री के लिए भी लागू होगा। साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला के व्यौरे दर्शाता साइन बोर्ड न्यूनतम (5x3) फीट आकार का होगा और जो निरीक्षण अधिकारी तथा अन्य आगन्तुकों को सहज रुप से पठनीय होना चाहिए और उसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) पौधशाला पालक प्ररुप–'7' में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें साँकुर शाखा बैंक में प्रोजन्य वृक्षों की निष्पत्ति अभिलिखित की जाएगी।

(6) सक्षम प्रधिकारी मातृ वृक्षों या प्रजनित सामग्री (ऊत्तक संवर्धन इकाई में (x) पौधे) को आगामी उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी पौध सामग्री का उपयोग निम्नलिखित कारणों के मद्दे फल उद्योग के हित में नहीं होगाः–

(क) बाजार (मण्डी) में कम वाणिज्यिक मूल्य के फलों की घटिया गुणवता;

(ख) घटिया उत्पादन क्षमता;

(ग) संक्रामक कीटों, जीवों और रोगों से ग्रस्त होना जिन का आसानी से उपचार ना किया जा सकता हो;

(घ) कोई अन्य कारण, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य के फल उद्योग के हित में अनिवार्य समझा जा सकेगा।

(ङ) पौधशाला पालक ऐसे पेड़ों का संगरोध करेगा और आगामी प्रजनन के लिए उनकी कलियों का प्रयोग नहीं करेगा यदि इन पीड़ित पेड़ों से अन्य स्वस्थ पेड़ों और पौधशाला के पौधों को कीड़ों, विनाशकीटों और बीमारियों के फैलने की संभावना हो, तो ऐसे पेड़ों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाने का आदेश दिया जा सकेगा और तदनुसार पौधशालापालक ऐसे आदेशों में नियत समय–सीमा के भीतर इन आदेशों का पालन करेगा।

10.अभिलेख और निरीक्षण.–(1)(क) अनुज्ञप्तिधारी प्रजनन के लिए प्रयुक्त मूलवृन्त और साँकुर या पौध सामग्री की उत्पत्ति के स्रोतों/प्राप्तियों और बढ़ाए गए पौधों की संख्या को दर्शाते हुए, प्ररुप–8 में रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(ख) प्ररुप–9 में विक्रय रजिस्टर में फल पौधशाला के पौधों और/या साँकुर शाखा के विक्रय का पूर्ण अभिलेख रखेगा और प्ररुप–10 में क्रेता को विक्रय रसीद जारी करेगा।

(ग) प्ररुप–11 में निरीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसे, सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश द्वारा निरीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को टिप्पणियां अभिलिखित करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों का अनुपालन पौधशाला पालक/उत्पादक द्वारा दी गई समय–सीमा के भीतर किया जाएगा।

(घ) कीड़ों, विनाशकीटों और बीमारियों के नियंत्रण हेतु साँकुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला में चलाए गए पौध संरक्षण प्रचालनों के सम्बन्ध में प्ररुप–12 में रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(ङ) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में बढ़ाए गए और किस्मवार विक्रीत पौधों की संख्या का विवरण प्ररुप–13 में तैयार करेगा और इस विवरण की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी और निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अन्त तक प्रस्तुत करेगा; और

(च) निरीक्षण अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी को निरीक्षण के समय उक्त प्राधिकारी द्वारा, उसे दिए गए अनुदेशों की अनुपालना के बारे में, दिए गए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करेगा।

(2) इन नियमों में प्रगणित सभी अभिलेख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संव्यवहार अर्थात् पौधशाला उत्पादन का परिसमापन/साँकुर शाखा बैंक कार्य, की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखे जांएगें।

11. प्लाटों, पौधों और पेड़ों का कीड़ों, विनाशकीटों और बीमारियों से मुक्त रखा जाना.– पेड़ों /मूल वृन्त/ पौधशाला पौधों के प्रत्येक प्रवर्ग और अन्य सामग्री के लिए उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश या डा0 यशवन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन द्वारा संस्तुत पौध संरक्षण संचालनों की अनुसूची का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुसरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी या उद्यान विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अनुदेशों का पौधशाला पालक द्वारा समुचित रुप से पालन किया जाएगा। नियन्त्रित किए जाने वाले कीड़ों, विनाशकीटों और बीमारियों की सूची सक्षम प्राधिकारी या उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय–समय पर परिचालित/प्रसारित की जाएगी।

12. पौधशाला का निरीक्षण.–(1) निरीक्षण अधिकारी द्वारा साँकुर शाखा बैंक के सन्तति पेड़ों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों सहित समस्त पौधशाला क्षेत्र/ऊत्तक संवर्धन इकाई का, यह सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा, कि अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का सर्वथा अनुपालन किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण अधिकारी को उसकी सन्तुष्टि के अनुसार समस्त पौध सामग्री और अभिलेख दिखाएगा।

(2) निरीक्षण अधिकारी लिखित रुप में अनुज्ञप्तिधारी को आगामी औद्यानिकीय पौध संरक्षण संचालनों को कार्यान्वित करने के निर्देश दे सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट समय के भीतर इन अनुदेशों का पालन करेगा और अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(3) यदि कुछ पौध सामग्री या सन्तति पेड़, विनाशकीटों और संक्रामक प्रकृति के रोगों से बहुत अधिक दूषित पाए जाते हैं और उनका हटाया जाना/विनष्ट किया जाना अपेक्षित है, तो इस प्रभाव, के आदेश निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिखित रुप में जारी किए जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी इन आदेशों का अनुपालन इन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करेगा।

(4) निरीक्षण अधिकारी, कीटों और रोगों के संक्रमण या पैकेजिंग और लेबलिंग में किसी भी दोष का पता लगाने के लिए पारगमन के दौरान किसी भी पौध सामग्री का निरीक्षण कर सकेगा, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या पौध सामग्री का विक्रय (पौध साम्रगी का स्रोत) वैध है और वास्तविक स्रोत के पास उनके प्रजनन के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति है। यह पता लगने पर कि रोपण सामग्री का संचलन अनधिकृत और अवैध है, तो निरीक्षण प्राधिकारी मामले की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को अधिहरण से 2 दिन के भीतर भेज देगा, जो रिपोर्ट की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर या अन्यथा सामग्री के निरोध की तारीख से 10 दिन के भीतर जो भी पूर्वतर हो, पौध सामग्री के विनाश के लिए अपने विनिश्चय से अवगत करवाएगा।

(5) पौध सामग्री अर्थात रुट स्टॉक/सामन वुड/बीज/रनर/सीडलिंगज कटिंग/सकर आदि और साधारणतया कलमकृत सामग्री के विक्रय को हतोत्साहित किया जाएगा और यदि निरीक्षण अधिकारी की यह राय है कि विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना अवैध रुप से विक्रय किया जा रहा है जिससे किसानो की भविष्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वह पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, की सहायता से बहुऋतुजीवी वृक्षारोपण को ध्यान में रखते हुए ऐसी पौध सामग्री मौके पर जब्त की जाएगी और निदेशक, बागवानी हिमाचल प्रदेश की पूर्व सूचना और अनुमोदन से पौध सामग्री के अनधिकृत अभिरक्षक के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चालान दाखिल कर सकेगा।

13. पैकेज और उन पर लेबल लगाना.– पौध सामग्री के लेबल ऐसे होंगे जो पानी और आर्द्रता से खराब न हो और अधिमानतः जस्ता, टिन या एल्युमिनियम के हों, ताकि ये आसानी से न फटें।

14. प्रतिभूति.–(1) अधिनियम की धारा–5 और 6 और नियम 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी लिखित रुप में नोटिस द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञप्तिधारी से बैंक द्वारा जारी और निदेशक, बागवानी, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में गिरवी रखी गई सावधि निक्षेप के रुप में पांच हजार रुपए से अनाधिक रकम की नकद प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप–नियम (1) के अधीन निक्षेपित प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पुनः अपनी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है। अनुज्ञप्तिधारी, समपहरण के आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर समपहृत रकम को पूरा करेगा।

15. निरसन और व्यावृत्तियां.–(1) हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश सहित की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अनुरुप होने तक इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किए गए/की गई समझे/समझी जाएगें/जाएगी।

प्ररुप–1

{नियम 4(1) देखें}

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

सेवा में,

फोटो चिपकाने का स्थान (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

____
____
____
____

महोदय,

चूंकि में............................... तहसील.......................... जिला....................... में खुले क्षेत्र/ऊत्तक संवर्धन तकनीक में उत्पादित किए जाने वाले सा कुर शाखा बैंक और/या फल पौधशाला स्थापित/संचालित करना चाहता हूँ कृपया मुझे इस प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन यथाअपेक्षित अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए।

पौधशाला की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार से हैः–

1. फल पौधशाला का क्षेत्रफल (बीघों में)
2. मान योग्य (मोटर चालित) सड़क से दूरी
3. क्या सिंचित क्षेत्र है, यदि हाँ तो विद्यमान जल स्त्रोत और सिंचाई प्रणाली
4. (i)साँकुर शाखा बैंक का क्षेत्रफल (बीघों में)

   (ii) प्रजनन संतति वृक्षों के ब्यौरेः–

कम संख्या 1	प्रकार 2	किस्म 3	आयु 4	फल–वृक्षों की संख्या 5

(यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)।

5. प्रस्तावित फल–पौधे

क्रम संख्या	प्रकार	किस्में
1	2	3

(यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्ना जोड़े)।

6. विद्यमान पौध–सामग्री के ब्यौरे, यदि कोई हो–

क्रम संख्या	प्रकार	किस्म	उपलब्ध साँकुरित / कलम पौधों की संख्या	उपलब्ध पौध / कृन्तक मूलवृन्त पौधो की संख्या	कुल उपलब्ध पौधे 4+5	कृन्तक मुलवृन्त / कलिका युक्त टहनी / प्रजनित सामग्री का स्त्रोत	टिप्पणी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

(यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)

7. ऊत्तक संवर्धन इकाई के ब्यौरेः–

1).

2).

3).

4).

ऊत्तक संवर्धन पौधों की कठोरीकरण के लिए प्रसुविधाएंः

में, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश या पदाभिहित अभिकरण द्वारा सम्यक रुप से संस्तुत किए गए अनुमोदित स्रोतों से विभिन्न फल पौधों की श्रेस्यकर किस्मों के वाँछित कृन्तक मूलवृन्तों और मातृ पौधों को अभिप्राप्त करने का वचन देता हूँ ।

साँकुर शाखा बैंक और / या फल पौधशाला के अधीन क्षेत्र की रुप–रेखा प्लान, क्षेत्र के राजस्व कागज–पत्र (नकल जमाबन्दी और ततीमा) संलग्न है।

मैं सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कलिका युक्त टहनी सामग्री की अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को प्राप्त करने का वचन देता हूँ ।

मैंने अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया है और रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता अवधि के दौरान उनमें उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करुंगा।

पौधशाला स्थल पर साँकुर शाखा बैंक और अन्य पौध सामग्री में विधमान प्रजनन संतति की बाबत उपरोक्त दी गई सूचना सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त दी गई सूचना झूठी, अर्प्याप्त/अपूर्ण सत्यापित की जाती है/पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथावश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

भवदीय,

सम्पर्क नम्बर सहित
नाम और पूर्ण पता।

प्ररूप–2

{नियम 4(3) देखें}

निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट

(नाम, पदनाम और पता)

एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेंने श्री/श्रीमति/कुमारी..... (आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता) द्वारा चलाई जा रही/ स्वामित्व में रखी/ प्रबन्धित .....(खुले क्षेत्र/ऊत्तक संवर्धन तकनीक/साकुर शाखा बैंक में उगाई गई फल पौधशाला का नाम)..... पौधशाला का..... तारीख को निरीक्षण किया है और मेंरा व्यक्तिगत संप्रेक्षण यह है कि.....

(i) आवेदक का फल पौधशाला के अधीन..... और साँकुर शाखा बैंक के अधीन..... क्षेत्र है;

(ii) निरीक्षण के समय ..... सन्तति (प्रोजन्य) पेड़ों की निम्नलिखित किस्में (प्रजातियाँ) विद्यमान पाई गईं:–

क्रम संख्या	फल पेड़ों के प्रकार	किस्म (प्रजाति)	निष्पादन (उपज व गुणवत्ता)	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की आयु	पेड़ों की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)।

(iii) स्वामी द्वारा प्रतिपालित (अनुरक्षित) फल पौधशाला/ ऊत्तक संवर्धन इकाई और/या साँकुर शाखा बैंक की रूपरेखा संलग्न है;

(iv) फल पौधशाला/साँकुर शाखा बैंक को कीटों, विनाशकीटों और रोगों से मुक्त रखा जा रहा है/नहीं रखा जा रहा है;

(v) साँकुर शाखा बैंक पेड़ों का अच्छी स्थिति में रख–रखाव किया जा रहा है/नहीं किया जा रहा है;

(vi) मिट्टी पौधशाला उत्पादन कार्य के लिए अनुकूल है/नहीं है;

(vii) पौधशाला पालक नीचे दिए गए कारणों से अनुमोदित प्रणाली पर फल पौधशाला और/या साँकुर शाखा बैंक के संचालन/स्थापन के लिए सक्षम है/नहीं है;

(viii) आवेदक द्वारा दी गई सूचना सही है/नहीं है;

(ix) अतिरिक्त सूचना (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें);

और

(x) उपरोक्त संप्रेक्षणों के आधार पर में इसे अनुज्ञाप्ति को प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामले के रूप में सिफारिश करता हूँ/नहीं करता हूँ।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीखः

अधिकारी का
पदनाम और मुहर।

प्ररूप–3

{नियम 4(4) देखें}

फल पौधशाला/साँकुर शाखा बैंक को स्थापित/संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति।

अनुज्ञप्ति संख्या.....जारी करने की तारीख.....

सुपुत्र श्री ..... गांव.....डाकघर..... तहसील.....जिला..... हिमाचल प्रदेश

के स्वामी को निम्नलिखित प्रकार और किस्मों के संस्तुति (प्रोजन्य) पेड़ों/फल पौधों का अनुरक्षण करने, उगाने, विक्रय के लिए प्रदर्शित करने और प्रतिरोपण के लिए बिक्री करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता हैः–

क्रम संख्या 1	प्रकार 2	किस्म (प्रजाति) 3

यह अनुज्ञप्ति .....से..... तक विधिमान्य है।

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगीः–

(1) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार का ईमानदारी और उचित रीति में संचालन करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति या रजिस्टर और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए नियमों के अधीन बनाए रखने के लिए अपेक्षित अन्य अभिलेखों को, सक्षम प्राधिकारी या इस द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के प्रपवचन या उल्लंघन की अनुमति नहीं देगा और इसके किसी प्रपवचन या उल्लंघन, जो उसकी जानकारी में आता है, की सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के अनुसार जारी अनुदेशों का समयबद्ध रीति में तत्परता से पालन करेगा।

(6) यदि अनुज्ञप्तिधारी पौधशाला पर अपने नियंत्रण को पूर्णतयः या भागतः अन्तरित करता है तो वह ऐसे अन्तरण की सूचना सक्षम प्राधिकारी को अन्तरण से एक मास की अवधि के भीतर भेजेगा।

सक्षम प्राधिकारी के
कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर।

इस अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जाता है–

नवीकरण की अवधि	.....से	.....तक	सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर
1	2	3	4

प्ररूप–4

{नियम 4(5) देखें}

पौधशाला (खुले में/उत्तक संवर्धन तकनीक)/साँकुर शाखा बैंक अनुज्ञप्ति रजिस्टर फार्म

क्रम संख्या	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पिता का नाम और पता	सम्पर्क नम्बर	पौधशाला का नाम	पौधशाला का क्षेत्रफल	फल पौधों के प्रकार और सन्तति की जाने वाली किस्में	निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण की तारीख	अनुज्ञप्ति के जारी करने की संख्या और तारीख	अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख	नवीकरण की तारीख	नवीकरण की अवधि	टिप्पणीयाँ	सक्षम प्राधिकारी के आद्याक्षर
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

प्ररूप–5
{नियम 5(2) देखें}

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

.....

.....

श्रीमान जी,

मेरी खुला मैदान में फल पौधशाला/ऊत्तक संवर्धन इकाई/साँकुर शाखा बैंक अनुज्ञप्ति संख्या..... ..... है, का ..... को अवसान हो रहा है।

अतः अनुरोध किया जाता है कि इस अनुज्ञप्ति को..... पाँच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जाए। मूल अनुज्ञाप्ति ..... रूपए के कोषागार चालान संख्या..... तारीख..... ..... सहित संलग्न है। मूल अनुज्ञप्ति के गुम, नष्ट, विकृत या क्षतिग्रस्त होने की दशा में द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए कोषागार चालान संख्या..... तारीख..... द्वारा जमा की गई 500/–रूपए की फीस के साथ शपथ–पत्र संलग्न है।

2. अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, अन्तिम नवीकरण..... को किया गया था और तब से ....(संख्या), निरीक्षण किए गए । मैंने निम्नलिखित मामलों के सिवाए जिसके लिए प्रत्येक के सामने कारण उपदर्शित किए गए हैं, समय–समय पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिखित रूप में संसूचित अनुदेशों का पालन किया, जिसके लिएः–

क्रम संख्या 1.	निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भेजे गए अनुदेश 2.	तारीख 3.	अननुपालन के लिए कारण 4.

(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)।

मैंने अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया है।

पौधशाला /ऊत्तक संवर्धन इकाई/साँकुर शाखा बैंक और पौध सामग्री से सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्ररूप–"1" में संलग्न है(प्ररूप–"1" में भरें)।

भवदीय,

(स्वामी के हस्ताक्षर)
नाम और सम्पर्क नंबर सहित संपूर्ण पता

टिप्पण–– यदि मूल अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं हैं, तो राजस्व कागजात (जमाबंदी की नकल और ततीमा) नहीं दिए जाएं।

प्ररूप–6

{नियम 5(2) देखें}

सेवा में,

श्री.....

.....

.....

श्रीमान जी,

1. मैंने श्री..... को.....तारीख..... को जारी अनुज्ञप्ति संख्या..... .....का.....को (पौधशाला /साँकुर शाखा बैंक के निरीक्षण की तारीख) निरीक्षण किया।
2. आवेदक द्वारा दिया गया पौधशाला/सन्तति पेडों/दोनों का विवरण स्थल परीक्षण पर सही पाया गया। (किसी भिन्नता की दशा में कृपया अलग पन्ने में विवरण दें)।
3. एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी ने अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है/नहीं किया है और उसने प्राधिकारियों के निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया है/ नहीं किया है।
4. उल्लंघनों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम संख्या 1.	आदेश की तारीख और संख्या 2.	प्राधिकारी जिस द्वारा जारी किया गया 3.	टिप्पणियाँ 4.

5. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो।
6. उपर्युक्त सम्प्रेक्षणों के आधार पर, में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के इसकी समुपयुक्त मामले के रूप में सिफारिश करता हूँ/सिफारिश नहीं करता हूँ ।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..... पदनाम और कार्यालय की मोहर।

प्ररूप–7

{नियम 9(5) देखें}

रजिस्टर

सन्तति पेड़ों के बड वूड बैंक रजिस्टर का प्ररूप.....

..अनुज्ञप्ति संख्या.....

.....

वर्ष	सन्तति पेड़ों की क्रम संख्या	प्रकार और किस्म	किलोग्राम में उपज	सन्तति पेड़ों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति	फलों के प्रकार और ग्रेड के सामान्य सम्प्रेक्षण
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्ररूप–8

{नियम 10(1)(क) देखें}

पौधशाला/उत्तक पालन इकाई का नाम.....
.....
.....

अनुज्ञप्ति संख्या...../फल पौधों के प्रकार.....
..... किस्म.....

पौध सामग्री के स्त्रोत का अभिलेख

तारीख 1.	प्रकंद और/या पौध सामग्री का स्रोत 2.	सांकुत्क किस्म का स्रोत 3.	उगाए गए पौधों की संख्या 4.	टिप्पणियाँ 5.

प्ररूप–9

{नियम 10(1)(ख) देखें}

पौधशाला का नाम.....

अनुज्ञप्ति संख्या.....

फल पौधशाला पौधों और/या सांकुत्क लकड़ी का विक्रय रजिस्टर

क्रम संख्या 1.	क्रेता का नाम और पता 2.	बिक्री किए गए पौधों के प्रकार और किस्म 3.	प्रयुक्त प्रकंद, यदि कोई हो। 4.

बिक्री किए गए पौधों की संख्या 5.	प्रति पौधा दर 6.	कुल प्रभारित कीमत 7.	जारी की गई रसीद की संख्या और तारीख 8.	टिप्पणियाँ 9.

प्ररूप–10
{नियम 10(1)(ख) देखें}

रसीद

पौधशाला/उत्तक पालन इकाई/कली लकड़ी बैंक (कोंपल) का नाम एवं पता .....
अनुज्ञप्ति संख्या.....

नकद/उधार मेमो..... संख्या..... तारीख.....

श्री/मैसर्ज.....

.....

क्रम संख्या 1.	पौधों के प्रकार और किस्म 2.	दर 3.	संख्या 4.	रकम 5.
कुल				

सधन्यवाद प्राप्तः.....

पौधशाला के स्वामी के हस्ताक्षर

पूरा पता और संपर्क

नंबर के साथ

टिप्पणी–(कार्बन प्रति पौधशाला–पालक द्वारा रखी जाएगी)।

प्ररूप–11

{नियम 10(1)(ग) देखें}

निरीक्षण रजिस्टर

क्रम संख्या	निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	अधिकारी के अनुदेश	पौधशाला–पालक द्वारा, ऐसी तारीख, जिसको अनुदेश अनुसरित किए गए, सहित अनुपालन रिपोर्ट
1.	2.	3.	4.	5.

प्ररूप–12

{नियम 10(1)(घ) देखें}

फल पौधशाला/उत्तक पालन इकाई/कली लकड़ी बैंक में कार्यान्वित की जाने वाली पौध–संरक्षण संक्रियाओं का रजिस्टर।

क्रम संख्या 1.	तारीख 2.	कीडों,विनाशकीटों या बीमारियों के नाम 3.	किए गए नियंत्रण उपाए (प्रयोग किए कीटनाशकों और उनका व्यवस्थापन उल्लिखित करें) 4.

प्ररूप–13
{नियम 10(1)(ङ) देखें}

किस्मवार उगाए गए और विक्रीत पौधों की संख्या के बारे में विवरण/वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल–20... से 31 मार्च 20... तक) के लिए फल–पौध के उत्पादन और विक्रय का वार्षिक विवरण।

क्रम संख्या 1.	प्रकार 2.	किस्म 3.	प्रकंद, यदि कोई उपयोग किया है। 4.	उत्पादित संख्या (वर्तमान वर्ष) 5.

पिछले वर्ष का बकाया 6.	कुल पौधे (5+6) 7.	विक्रय के लिए उपयुक्त पौधों की संख्या 8.	विक्रीत पौधों की कुल संख्या 9.	31 मार्च को बकाया 10.

आदेश द्वारा,

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English text of Government Notification No. HTC-E(4)-1/95-Vol.-I-Loose dated 02-01-2020 as required under clasue(3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
Department of Horticulture

No. HTC-E(4)-1/95-Vol.-I-Loose **Dated: Shimla-2, 02-01-2020**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 22 of the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015 (Act No.29 of 2015), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purpose of the said Act, namely:-

1. **Short title and commencement**.-- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette) H.P.

2. Definitions.-- (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context requires,

(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015; (Act No. 29 of 2015)

(b) 'form' means a form appended to these rules;

(c) 'licensee' means a person who has been issued a licence under the Act;

(d) 'mother tree' means the progeny tree of the bud wood-bank from which budwood or scionwood is taken for budding / grafting the rootstocks for raising nursery in open or raising plant material through tissue culture technique; and

(e) 'security' means cash security furnished by the Nurseryman for proper conduct of the business:

(2) all other words and expressions used herein, but not defined in these rules, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Eligibility for grant of licence.--(1) Nurseryman/entrepreneurs who

wish to obtain license under the Act for setting up bud wood bank, fruit nursery, tissue culture unit should be a Graduate in Horticulture/Agriculture / Biotechnology or should have obtained one year diploma in Horticulture/nursery raising or should be a practicing horticulturist.

(2) The applicant shall be a research organization or foreign based nurseryman but prior to establishing the facility for the production of nursery plants he shall sign memorandum of understanding stating therein the role and responsibilities of the respective parties.

4. Procedure for Grant of licence.--(1) An application for a licence for conducting or establishing a bud wood bank and / or fruit nursery or tissue culture unit along with facilities for hardening of plants shall be addressed to the competent authority in Form 'I' along with a treasury challan in original of Rs.1000**/-** for bud wood bank, Rs. 5000**/-** for fruit nursery and tissue culture unit to be deposited in favour of Director of Horticulture, Himachal Pradesh under head "0401"-119 (Horticulture), 02- Receipts from Botanical Garden (fee for nursery registration)" in any Government Treasury/ State Bank of India.

(2) The fee deposited under sub-rule (1) shall be refunded in full if the licence is refused.

(3) The competent authority shall on receipt of application, inspect or cause to be inspected, by any Officer authorised by him not below the rank of Horticulture Development Officer**,** or the Director of Horticulture, Himachal Pradesh. The bud wood bank and/ or fruit nursery for which the licence has been applied for. The inspecting officer shall record his other observations in Form 'II'.

(4) On receipt of the report of the inspecting officer(s)/ competent authority may, if satisfied that the applicant fulfills the conditions notified under section 4 of the Act, may grant the licence in Form 'III' and shall in its order give reasons for such refusal if the situation so warrants:

Provided that every order granting or refusing a licence shall be made within a period of 60 days of the date of receipt of the application for licence and communicated within 10 days by a registered letter to the applicant concerned.

(5) The competent authority shall maintain the register in Form 'IV' in which the names of the person **/** entrepreneur to whom the licences are granted from time to time shall be entered.

(6) The competent authority, in case not satisfied with the report of the inspecting officer may also conduct inspection himself or may order for re-inspection of the bud wood bank and/ or fruit nursery/or tissue culture unit through some other inspecting team as the case may be.

5. Period of Validity of licence, renewal and alterations in licence.--

(1) Every licence granted under these rules shall be valid for a period of five years from the date of issue.

(2) Any person desiring to get his licence renewed shall make an

application to the competent authority in Form 'V' within a period of 90 (ninety) days before the date of expiry of the licence. Such application shall be accompanied by a treasury challan as a proof of the deposit of the renewal fee as specified under sub-rule (1) of rule(4). On the receipt of the application the competent authority will get the bud wood bank and/ or fruit nursery/tissue culture unit inspected in the same manner as if the application has been received by him under sub-rule (1) of rule 4. The inspecting authority will give his report in Form 'VI'. For the renewal of licence it shall be mandatory to enclose the original licence so granted under the Act, failing which the competent authority after taking all facts and circumstances into consideration shall ask for production of relevant records and necessary affidavit duly attested by the notary public.

(3) On receipt of the report of the inspecting officer the competent authority may, if satisfied that the applicant has not contravened any of the conditions of the licence or any provision of the Act or these rules, renew licence for a maximum period of five years. If authority, is not satisfied, it may refuse the renewal and shall in its order give reasons for such a refusal to be recorded in writing:

Provided that every order renewing or refusing to renew licence shall be made within a period of 60 days from the date of receipt of the application for renewal and communicated within 10 days by a registered letter to the applicant.

(4) The renewal fee shall be Rs.1000/- for bud wood bank and Rs. 2000/-for fruit nursery and tissue culture unit for 5 years and shall be deposited under the Head referred to in sub-rule (1) of rule 4. The renewal fee shall be refunded if the renewal of the licence is refused.

(5) If the licensee fails to apply for the renewal of licence within a duration of 90 days prior to its expiry, the competent authority shall take steps for cancellation of such licence so granted, under intimation to the concerned nurseryman/authorized person.

(6) If at any time during the validity period of the licence, the licensee desires to undertake propagation of fruit plants other than those mentioned in the licence, or wants to change the name of the nursery owner due to death or any other reason he shall make an application to the competent authority specifying therein the fruit plants sought to be additionally propagated or the required documents which shall be deemed necessary in both the cases. The competent authority may, after proper verification of the documents shall take a view that the applicant is eligible to undertake the propagation of fruit plants in addition to what he was propagating earlier specified in the application or change in the name of nursery owner, make the necessary additions and alterations in the licence thereafter.

6. Additional grounds for suspension or cancellation of licence.-- The competent authority may, in addition to the grounds mentioned in sub-section (1) of section 5 of the Act, suspend or cancel any licence, granted or renewed maximum for one year **,** on any or more of the following grounds :-

(a) the licensee has not been conducting his business honestly or in a fair manner;

(b) he has failed to carry on the orders/instructions of the competent authority issued from time to time with respect to improving the conditions of the bud wood bank and/ or fruit nursery/plant material, or facilities at the tissue culture centre as the case may be; or

(c) he is producing plants disproportionate to the availability of the scion wood of the progeny trees of different varieties for which licence was granted;

7. Issue of a duplicate licence.-- In case the original licence is lost, destroyed, mutilated or damaged the nurseryman may apply to the competent authority for the issue of a duplicate licence by quoting the same number which was mentioned in original licence. On the receipt of the application and on the payment of a fee of Rs. 500/- the competent authority shall issue duplicate licence.

8. Appeal against orders for refusal to grant or renewal or cancellation of a licence.-- Any person aggrieved by an order of the competent authority refusing to grant or renew a licence or cancelling a licence may within a period of thirty days of the receipt of such order appeal to the Director of Horticulture, Himachal Pradesh specifying clearly the grounds for appeal.

9. Plant material to be used for propagation.-- (1) The plant material to be used for propagation will be strictly the same for which licence has been granted.

(2) The scion variety and rootstock to be propagated in the nursery shall be those as approved by the Horticulture Department, Himachal Pradesh or the designated agency as per section 2(d) of the Act, from time to time. The Director of Horticulture, Himachal Pradesh or Competent Authority may prescribe minimum standards of scion wood, root stock and nursery plants from time to time as given in the package of practices or to be notified by the Director of Horticulture in view of changes, if any in the recommendations.

(3) The vegetatively propagated plant material in the fruit nursery / tissue culture unit shall be in direct proportion to the availability of rootstock (vegetatively propagated if any) and scionwood with the nurseryman / owner in the registered bud wood bank .

(4) The nurseryman will maintain a map of the bud wood bank and/or fruit nursery showing the details of the fields or beds and the kinds of varieties of plants in each bed. This will apply to the seedlings as well as

budded and grafted plants material. The signboard showing the details of the bud wood bank and/or fruit nursery shall be of minimum (5x3) foot size and easily readable to the inspecting officer and other visitors and displayed at a prominent place.

(5) The nurseryman will maintain a register in Form 'VII' wherein the performance of the progeny trees in bud wood bank will be recorded.

(6) The competent authority may declare mother trees or propagating material (X-plants in tissue culture unit) as unfit for further use, if satisfied that use of such a plant material will not be in the interest of fruit industry, on account of the following reasons :-

(a) poor quality of fruit lacking commercial value in the market;

(b) poor bearing capacity;

(c) infected with contagious insects, pests and diseases which cannot be easily cured;

(d) any other reason which may be considered essential by the competent authority in the interest of the fruit industry of the State.

(e) The nurseryman will quarantine such trees and will not use their bud wood for further propagation if there is likelihood of spread of the insect, pest and diseases from these infested trees to other healthy trees and the nursery plants, thus, these trees shall be ordered to be removed by the competent authority and accordingly the nurseryman will carry out these orders within a stipulated time frame to be mentioned in the order(s) thereof.

10. **Record and Inspection –** (1) (a) The licensee shall maintain a register in Form 'VIII' indicating sources of origin / receipt of root-stock and scion or plant material used for propagation and number of plants raised.

(b) Maintain a complete record of sale of fruit nursery plants and /or scion wood in the sales register in Form 'IX' and issue the printed sale receipt to the buyer in Form 'X'.

(c) maintain an inspection register in Form 'XI' which shall be made available for recording of remarks to the competent authority, inspecting officer or any other person authorized to conduct an inspection by the competent authority, or the Director of Horticulture, Himachal Pradesh. The compliance of instructions given by the inspecting officer shall be carried out by the nursery grower within a given time limit.

(d) maintain a register regarding plant protection operations carried out in the bud wood bank and/ or fruit nursery for control of insects, pests and diseases in Form 'XII'.

(e) prepare a statement in Form 'XIII' regarding number of plants raised and sold variety-wise, for the period from 1st April to 31st March every year and submit a copy of this statement to the competent authority and the Director of Horticulture, Himachal Pradesh by the end of April every year; and

(f) Inform the inspecting authority and the competent authority about

the compliance of instructions given to him at the time of inspection within the time specified by the said authority.

(2) All the records enumerated in these rules shall be preserved by the licensee for a period of 10 years after the date of the conclusion of the transaction i.e., winding up of nursery production / bud wood bank work.

11. Plots, plants and trees to be kept free from insects, pests and diseases.-- The schedule of plant protection operations recommended by the Department of Horticulture, Himachal Pradesh or Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan for each category of trees/root-stock/nursery plants and other material will be followed by the licensee. In addition to this the instructions issued by the competent authority or the Department of Horticulture from time to time in this regard will be carried out properly by the nurseryman. The list of insects, pests and diseases to be controlled will be circulated/disseminated by the competent authority or the Department of Horticulture, Himachal Pradesh from time to time.

12. Inspection of nursery -- (1) The entire nursery area / tissue culture unit including progeny trees in bud wood bank, registers and other records shall be inspected by the inspecting officer from time to time in order to ensure that the provisions of the Act and rules framed there under are strictly adhered to. The licensee will show the inspecting officer the entire plant material and records as per his satisfaction.

(2) The inspecting officer may direct the licensee in writing for carrying out further Horticultural /Plant Protection operations. The licensee shall carry out these instructions within specified time and report compliance.

(3) In case, some plant material or progeny trees are found badly infested with pests and diseases of contagious nature and require their removal /destruction, orders to this effect shall be issued in writing by the inspecting officer. The licensee shall comply with these orders within the time specified therein.

(4) The inspecting officer may inspect any plant material while in transit for detecting infestation of pests and diseases or any defect in packaging and labeling and also to ascertain as to whether the sale of plant material (source of plant material) is legitimate and from genuine source having valid licence for their propagation. On detection that movement of planting material is unauthorized and illegal the inspection authority will report the matter to the competent authority within 2 days after confiscation who in turn will convey his decision for the destruction or otherwise of the plant material within 7 days of the receipt of report or 10 days from the date of detention of the material whichever is earlier.

(5) The sale of plant material i.e, rootstock/scionwood/ seeds/ runner /seedlings cuttings/ suckers etc. and grafted material in general shall be discouraged and if inspecting officer is of the opinion that there is suspected sale without valid licence which may have adverse effect on

the future economy of farmers, taking into consideration perennial plantation, such plant material shall be confiscated on the spot with the help of police officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector and may file challan as per provisions of the Act against the unauthorised custodian of planting material with prior intimation and approval of the Director of Horticulture, Himachal Pradesh.

13. Packages & their labelling. -- The labels of the plant material would be those which are not spoiled by water and high humidity and may preferably be of zinc, tin or aluminum, so that these are not easily torn-out.

14. Security.-- (1) Without prejudice to the provisions of sections 5 and 6 of the Act and rule 6, the competent authority may by a notice in writing require a licensee to furnish within such period as may be specified in the notice, a cash security of an amount not exceeding five thousand rupees in the shape of fixed deposit issued by a bank and pledged in favour of Director of Horticulture, Himachal Pradesh if it is satisfied that the licensee has contravened any condition of his licence or any provisions of the Act or these rules.

(2) The competent authority may forfeit the security deposited under sub-rule (1) or any portion thereof, if it is satisfied that the licensee has again contravened any condition of his licence or any provision of the Act or these rules. The licensee shall make good the amount forfeited within a month of the receipt of the order of forfeiture.

15. Repeal and savings.—(1)The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Rules, 1973 are hereby repealed :

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken including any order made under the rules so repealed shall, to the extent of being consistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done, taken or made under the provisions of these rules.

FORM- I

[*See* rule 4 (1)]

APPLICATION FOR LICENCE

To

....

....

....

Place for affixing
2 Photos

Sir

As I wish to establish/conduct a bud wood bank and/or fruit nursery to be raised in open field / tissue culture technique in...Tehsil.. District………………….. I may kindly be granted a licence for this purpose as required under the Act. The particulars of the nursery are given below:-

1. Area of the fruit nursery (in bighas)
2. Distance from motorable road
3. Whether irrigated if yes the source of water and irrigation system in place.
4. (i) Area of the bud wood bank (in bighas)

   (ii) Details of the progeny trees—

S.No. 1.	Kind 2.	Variety 3.	Age 4.	No. of fruit trees 5.

(Add additional sheet if required).

5. Fruit plants proposed to be propagated—

S.No. 1.	Kind 2.	Varieties 3.

(Add additional sheet if required).

6. Details of existing plant material ,if any—

S.No 1	Kind 2	Variety 3	No.of plants available Budded/grafted *4*	No.of plants available seedling/clonal root-stock 5	Total plants available (4+5) 6	Source of clonal rootstock / scion/propagating material 7	Remarks if any 8

(Add additional sheet if required).

7. Details of tissue culture unit:-

1)

2)

3)

Facilities for hardening of tissue cultured plants:

I undertake to source desired clonal rootstocks and mother plants of preferred varieties of different fruit plants from the approved sources duly recommended by the Department of Horticulture, Himachal Pradesh or designated agency.

The sketch plan of the area under Bud wood Bank and/ or fruit nursery , revenue papers (nakal jamabandi and tatima) of the area are enclosed.

I undertake to obtain any additional requirements of scion material, if any through the competent authority.

I have read the Act and rules framed there under and shall abide by all the conditions mentioned therein during the validity period of registration.

The information given above is correct with respect to the existing progeny plants in the bud wood bank and other planting material at the nursery site and nothing has been concealed therein.In case the information furnished as above is verified/detected to be false; insufficient/incomplete the competent authority can take action as warranted under the scope of this act and rules framed there under.

Yours faithfully,

Name and complete address
along with contact number

Form- II

[*See* rule 4 (3)]

REPORT OF THE INSPECTING OFFICER

(Name, designation and address)

Hereby certify that I have inspected the…….....

(name of fruit nursery raised in open field/tissue culture technique /bud -wood bank)

…….run /owned /managed by

Shri/M/s…….....on dated..……... and on my
(name, parentage and address of applicant)

personal observation state that—

(i) the applicant has an area of…….....under fruit nursery and.....under bud wood bank ;

(ii) …….....progeny trees of the following varieties have been found to be existing at the time of inspection:--

S. No 1.	Kind of fruit trees 2.	Variety 3.	Performance (yield and quality) 4.	No. of trees 5.	Age of trees 6.	Condition of trees 7.

(Add additional sheet if required).

(iii) a sketch of the fruit nursery /tissue culture unit and/or bud wood bank being maintained by the owner is enclosed;

(iv) the fruit nursery /bud wood bank is/is not being kept free from the insects, pests and diseases;

(v) the bud wood bank trees are/are not being maintained in good condition;

(vi) the soil is/is not suitable for nursery production work;

(vii) the nurseryman is /is not competent to conduct /establish the fruit nursery and / or bud wood bank **o**n approved lines, for reasons given below ;

(viii) the information supplied by the applicant is/is not correct;

(ix) additional information (add additional sheet if required);

(x) On the basis of the above observations I recommend/do not recommend it as a fit case for grant of licence.

Signature of Inspecting officer,

Dated……..

Designation and Seal of the Officer

Form- III

[*See* rule 4 (4)]

LICENCE FOR ESTABLISHING/CONDUCTING A FRUIT PLANT NURSERY /BUD WOOD BANK

Licence No…….Date of issue…….....

----------Son of …….……..
Village…….....Block.....

Postoffice……,Tehsil…….....District…..
.....

Owner of…….....

is hereby authorised to maintain, raise, exhibit for sale and sell for transplantation, progeny trees / fruit plants of the following kinds and varieties:--

S.No. 1.	Kind 2.	Variety 3.

The licence is valid from……to…….

The licence shall be subject to the following conditions:--

(1) The licensee shall not contravene any of the provisions of Act, or the rules framed thereunder.

(2) The licensee shall conduct his business honestly and in a fair manner.

(3) The licensee shall produce his licence or the register and other records required to be maintained under this Act and the rules framed thereunder on demand by the competent authority or any person authorised by it from time to time.

(4) The licensee shall not permit evasion or infringement of any of the provisions of the Act or rules framed there under and shall report in writing to the competent authority any evasion or infringement which comes to his knowledge.

(5) The licensee shall promptly comply with the written instructions issued to him in accordance with the rules by the competent authority or by any person authorised by it in a time bound manner.

(6) If a licensee transfers in whole or in parts his control over the fruit nursery he shall send an intimation of such transfer to the competent authority within a period of one month of transfer.

Signature of the Competent Authority,
with a seal of his Office.

This licence is renewed……..

Period of renewal 1	From 2	To 3	Signature of the Competent Authority with seal of his office 4

Form- IV

[*See* rule 4 (5)]

NURSERY (IN OPEN /TISSUE CULTURE TECHNIQUE) / BUD WOOD BANK LICENCE REGISTER FORM

S.No 1	Name, parentage and address of the licensee 2	Contact no. *3*	Name of the Nursery/Bud - wood bank 4	Area of the Nursery/Bud wood bank 5	Kind of fruit plants and varieties to be propagated 6

Name and designation of Inspecting Officer 7	Date of visit of Inspecting Officer 8	No. and Date of issue of Licence 9	Date of expiry of Licence 10

Date of renewal 11	Period of renewal 12	Remarks 13	Initials of the Competent Authority 14

Form- V

[*See* rule 5(2)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

To

…….
……
……

Sir,

My Fruit Nursery in open field/tissue culture unit/ bud wood bank Licence No……..is going to expire on…….It is requested that this licence may be renewed for a period of *five* years. The licence in original along with the Treasury Challan no.....dated..... for Rs…….are enclosed. The affidavit along with fee of Rs. 500 /- deposited vide treasury challan no..... dated..... for issuance of duplicate licence is enclosed in case original licence is lost, destroyed, mutilated or damaged.

2. The licence was granted, last renewed on…….and since then……(Nos.), inspections have been carried out. I have complied with the instructions communicated to me in writing by the Inspecting authority from time to time except in the following cases for reasons indicated against each :--

S. No. 1	Instructions conveyed by the Inspecting authority 2	Date 3	Reasons for non-compliance 4

(Additional sheet if required).

I have not contravened any of the provisions of the Act or the rules framed thereunder.

The detailed information with regard the nursery/tissue culture unit/bud wood bank and plant material are enclosed in Form 'I'(Fill in the Form I).

Yours faithfully,

(Signature of the owner)
Name and complete address
alongwith contact number

Note—The revenue papers (nakal jamabandi and tatima) be not given if there is no change in the original record.

Form- VI

[*See* rule 5(2)]

To

……..

……

……

Sir,

I have inspected on (date of visit of the nursery / bud wood bank) of

Shri…….….....Licence

No……..……issued on……

2. The details of the nursery**/** progeny trees/both are as given by the applicant have been found to be correct on spot examination.

(In case of any difference please give details in a separate sheet)

3. It is hereby certified that the owner has/has not contravened any of the provisions of the Act and the rules framed thereunder and that he has/has not been following instructions of the authorities.

4. The details of the contraventions are given below :--

S. No. 1	Date and No. of order 2	Authority by whom issued 3	Remarks 4

5. Additional information, if any.

6. On the basis of the above observations, I recommend/do not recommend it as a fit case for renewal of the licence.

Signature of Inspecting officer,

Dated…….. *Designation and seal of the Officer*

Form- VII

[*See* rule 9(5)]

Register

Form of Register of the bud wood bank of progeny trees

of.....

Licence No……..

Year 1	S. No. of Progeny trees 2	Kind and variety 3	Yield in Kgs. 4	General health conditions of the progeny trees 5	General observations about quality and grade of fruits 6

Form- VIII

[*See* rule 10(1)(a)]

Name of nursery /tissue culture unit…….....

Licence No……

Kind of fruit plants.....Variety.....

.....

RECORD OF SOURCE OF PLANT MATERIAL

Date 1	Source of root- stock &/or plant material 2	Source of scion variety 3	No. of plants raised 4	Remarks 5

Form- IX

[*See* rule 10(1)(b)]

Name of nursery……..Licence No……..

SALE REGISTER OF FRUIT NURSERY PLANTS AND/OR SCIONWOOD

S.No.	Name and address of the purchaser	Kind and variety of plants sold	Root-stock used, if any
1	2	3	4

No.of plants sold	Rate per plant	Total price charged	No. and date of receipt issued	Remarks
5	6	7	8	9

Form-X

[*See* rule 10(1)(b)]

Receipt

Name and address of nursery/tissue culture unit/bud wood bank
Licence No.....

CASH/CREDIT MEMO No…… ……..
Date…….....

Shri/M/s……..

……..

S.No. 1	Kind and variety of plants 2	Rate 3	No. 4	Amount 5
Total				

Received with thanks…….

Signature of the nursery with complete address and contact no.

*Note—(*Carbon copy to be retained by the nursery-man).

Form- XI

[*See* rule 10(1)(c)]

INSPECTION REGISTER

S. No.	Date of visit	Name designation & address of the inspecting Officer	Instructions of the Officer	Compliance report by the nursery-man along with date on which the instructions were followed
1	2	3	4	5

Form- XII

[*See* rule 10(1)(d)]

REGISTER OF PLANT PROTECTION OPERATIONS TO BE CARRIED OUT IN FRUIT NURSERY /TISSUE CULTURE UNIT /BUD WOOD BANK

S. No. 1	Date 2	Name of the Insects, pests or diseases 3	Control measures taken (mention pesticides used & their formulation) 4

Form- XIII

[*See* rule 10(1)(e)]

Statement regarding number of plants raised and sold variety-wise.

Annual statement of production and sale of fruit plants for the financial year (01.04.20....to 31.03.20....)

S. No 1	Kind 2	Variety 3	Rootstock used if any 4	No. produced (current year) 5	Last year's balance 6	Total plants (5+6) 7	Total no.of plants sold 8	Balance as on 31st March 9

By order,
Secretary (Hort.) to the
Government of Himachal Pradesh